जबलपुर | मंगलवार | 16 सितम्बर 2025 | वर्ष 76 | अंक 223 | पृष्ठ 12 | मूल्य रु. 5.00
navabharat.com twitter.com/Nava_Bharat fb.me/NavaBharat.Social

नव भारत

राष्ट्रहित का प्रहरी 1934 से

जबलपुर 77 वां वर्ष संस्करण

एक नजर में

छह लाख लाभार्थियों को 354 करोड़ की सहायता

गांधीनगर. गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक नमो (एनएएमओ) श्री नमो योजना मातृत्व की ढाल बनी है, 18 महीनों में इस योजना ने छह लाख 21 हजार से अधिक लाभार्थियों तक अपनी पहुँच बना ली है जिन्हें 354 करोड़ रुपये से अधिक का आर्थिक लाभ सीधे उनके बैंक अकाउंट में दिया गया है। सरकारी सूत्रों ने सोमवार को बताया कि पटेल ने 13 सितम्बर को अपने जनसेवा के चार वर्ष पूरे किए हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संकल्पनाओं को उन्होंने आगे बढ़ाते हुए महिलाओं के सशक्तिकरण और मातृ स्वास्थ्य सुधार को शासन की प्राथमिकताओं में प्रमुख स्थान दिया.

मेकेदातु परियोजना को तत्काल मंजूरी मिले

बेंगलुरु. कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने तमिलनाडु सरकार और केंद्र से मेकेदातु जलाशय परियोजना को तत्काल इजाजत देने का आग्रह करते हुए कहा है कि सियासी मतभेद पानी के प्रबंधन और बिजली बनाने के आड़े नहीं आने चाहिये। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह परियोजना कावेरी नदी के पानी का ठीक इस्तेमाल सुनिश्चित करने और सामान्य तथा कम मानसून के समय कर्नाटक के हितों की रक्षा के लिए जरुरी है। लगभग 66,000 टीएमसी जल संग्रहण क्षमता वाला मेकेदातु जलाशय कर्नाटक और तमिलनाडु दोनों के लिये फायदेमंद है।

नेपाल मंत्रिमंडल में तीन मंत्रियों को किया शामिल

काठमांडू. नेपाल के सुप्रीम कोर्ट की पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की ने देश की नई प्रधानमंत्री के तौर पर पद को संभाल लिया है. नेपाल में कार्यवाहक सरकार के गठन के बाद प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने सोमवार को अपने मंत्रिमंडल में तीन मंत्रियों को शामिल किया है. सोमवार को कुलमन घीसिंग, ओम प्रकाश आर्यल और रामेश्वर खनल ने मंत्री पद की शपथ ले ली है. कुलमन घीसिंग को ऊर्जा, शहरी विकास और भौतिक अवसंरचना मंत्रालय का कार्यभार सौंपा गया है. ओम प्रकाश आर्यल, विधि एवं गृह मंत्रालय और रामेश्वर खनल, वित्त मंत्रालय का कार्यभार संभालेंगे. नेपाल में प्रदर्शन, भारी हिंसा और केपी शर्मा ओली के पीएम पद से इस्तीफा देने के बाद अब धीरे-धीरे शांति बहाल हो रही है.

वक्फ कानून बरकरार

3 बदलावों पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, कुछ प्रावधानों में होगा बदलाव

नई दिल्ली, 15 सितंबर (वार्ता) उच्चतम न्यायालय ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 पर पूरी तरह से रोक लगाने से सोमवार को इनकार कर दिया, लेकिन कहा अंतिम निर्णय आने तक कुछ प्रावधानों पर रोक रहेगी. मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह की पीठ ने संबंधित कानून के संशोधन की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अंतरिम आदेश पारित किया.

पीठ ने कहा कि अदालतों को संसद द्वारा बनाए गए कानूनों की वैधता माननी चाहिए और केवल दुर्लभतम मामलों में ही स्थगन देना चाहिए. शीर्ष अदालत ने कहा, हमने प्रत्येक धारा को दी गई चुनौती पर प्रथम दृष्टया विचार किया है. हमने पाया है कि कानून के संपूर्ण प्रावधानों पर रोक लगाने का कोई मामला नहीं बनता. हालांकि, कुछ धाराओं को कुछ

संरक्षण की आवश्यकता है. पीठ ने कहा कि कलेक्टर को नागरिकों के व्यक्तिगत अधिकारों का न्याय निर्णयन करने की अनुमति नहीं दी जा सकती और यह शक्तियों के पृथक्करण का उल्लंघन होगा.

शीर्ष अदालत ने अपने 128 पन्नों के फैसले में गैर-मुस्लिमों की नियुक्ति के संबंध में कहा कि यद्यपि यह न्यायालय कोई निर्देश जारी नहीं कर रहा है. फिर भी यह उचित होगा कि केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्ड में क्रमश: 22 और 11 सदस्यों में से चार और तीन से अधिक गैर-मुस्लिम सदस्य नहीं होने चाहिए. उच्चतम न्यायालय ने वक्फ संशोधन अधिनियम, 2025 के कुछ प्रावधानों के क्रियान्वयन पर रोक लगाते हुए वक्फ के लिए संपत्ति दान करने के लिए पांच साल तक इस्लाम का पालन करने के मानदंड के कार्यान्वयन पर भी रोक लगा दी.

अदालत ने कहा कि जब तक नियम नहीं बन जाते, तब तक वक्फ संपत्ति घोषित करने से पहले पांच साल तक इस्लाम का पालन करने की शर्त (धारा 3 (आर)) पर भी रोक रहेगी.

शीर्ष अदालत ने 25 अप्रैल को सुनवाई के दौरान केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने संशोधित वक्फ अधिनियम 2025 का बचाव करते हुए एक प्रारंभिक हलफनामा दायर किया. केंद्र ने संसद द्वारा पारित संवैधानिकता की धारणा वाले किसी भी कानून पर अदालत द्वारा किसी भी तरह की पूर्ण रोक का विरोध किया था.

न्यायालय के निर्णयों का सम्मान करती है हमारी पार्टी : सीएम

भोपाल. उच्चतम न्यायालय के वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 पर पूरी तरह से रोक लगाने से जुड़े आज के फैसले को लेकर मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि न्यायालय के निर्णयों का सम्मान करना हमारी पार्टी की नीति है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अदालतों के फैसलों को लागू कराने की क्षमता को देश ने कई बार देखा है. डॉ यादव ने अपने बयान में कहा कि वक्फ बोर्ड पर उच्चतम न्यायालय ने जो निर्णय दिया है, वह हम सबके सामने है. देश को विश्वास में लेकर प्रधानमंत्री मोदी के कोर्ट के निर्णय को लागू कराने की क्षमता को देश ने कई बार देखा है. उन्होंने कहा कि श्रीराम मंदिर का जब फैसला आया तो देश को विश्वास में लेकर प्रधानमंत्री ने उस निर्णय को लागू करवाया.

हम किसी को नाराज नहीं करना चाहते

लैंड पुलिंग एक्ट को लेकर किसानों के विरोध प्रदर्शन के मामले में सीएम ने कहा

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 15 सितंबर. उज्जैन में सिंहस्थ के लिये जमीन अधिग्रहण करने और फिर वहां स्थायी निर्माण के लिये राज्य सरकार लैंड पुलिंग एक्ट ला रही है. इसका उज्जैन के प्रभावित किसानों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है.

इस बीच सरकार और किसानों के बीच अलग- अलग स्तर पर चर्चा का दौर भी जारी है. इस मामले में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि उज्जैन में सिंहस्थ-2028 के लिए स्थायी निर्माण के संबंध में किसानों से संवाद जारी है, हम किसी को नाराज नहीं करना चाहते, राज्य सरकार सभी को साथ लेकर चलने के लिए प्रतिबद्ध है. विकास का क्रम निरंतर जारी रहेगा. कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में मीडिया से चर्चा में मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सिंहस्थ - 2028 के विकास कार्यों के लिए हमें सभी का समर्थन मिल रहा है. विकास के क्रम को बनाए रखना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है.

सबके हितों का ध्यान रखते हुए और सभी से संवाद करते हुए राज्य सरकार लैंड पूलिंग सहित सभी प्रकार के विकास कार्यों के मार्ग पर

अग्रसर हो रही है. प्रयागराज महाकुंभ के ऐतिहासिक आयोजन में करोड़ों लोगों के आगमन, व्यवस्था और उनके सुरक्षा प्रबंधन के दृष्टिगत केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्थायी संरचनाओं के विकास पर बल दिया, इससे क्षेत्र में धार्मिक पर्यटन को भी प्रोत्साहन मिला. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि इतिहास में अब तक के सबसे बड़े सिंहस्थ मेले का आयोजन उज्जैन में वर्ष-2028 में होने जा रहा है.

वर्तमान में उज्जैन की अर्थव्यवस्था में महाकाल लोक बनने से भारी वृद्धि हुई है. सिंहस्थ के आयोजन से उज्जैन का आध्यात्मिक नगरी के रूप में विकास होने से पर्यटन को और बढ़ावा मिलेगा. उज्जैन सिंहस्थ में 30 करोड़ श्रद्धालुओं के शामिल होने की आशा है. राज्य शासन वर्ष 2028 के सिंहस्थ का आयोजन आस्था, गरिमा और भव्यता के साथ करने के लिये कृत संकल्पित है.

साधु-संतों और श्रद्धालुओं को नहीं हो कोई परेशानी

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि यह सुनिश्चित करना राज्य शासन का कर्तव्य है कि हज़ारों साधु-संतों और करोड़ों श्रद्धालुओं को सिंहस्थ के दौरान उच्च स्तरीय सुविधाएं मिलें और उन्हें कोई परेशानी न हो. पिछले अनुभवों के आधार पर इस प्रकार की अधोसंरचना बनानी आवश्यक है, जिससे वर्षा-आंधी की स्थिति में भी मेले में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो. भव्य और विशाल आयोजन में सुरक्षा प्रबंध सुनिश्चित करते हुए संपूर्ण व्यवस्था बनाए रखना शासन का दायित्व है. इस वृहद आयोजन के लिये हजारों एकड़ भूमि की आवश्यकता होती है. सिंहस्थ के आयोजन में, स्थानीय किसान बंधु शासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग करते आये हैं.

सुको ने दी चुनाव आयोग को चेतावनी

- गड़बड़ी मिली तो एसआईआर रद्द करेंगे
- बिहार पर जो फैसला देंगे, वही पूरे देश पर लागू होगा

पटना/दिल्ली 15 सितंबर. बिहार एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को चेतावनी देते हुए कहा, अगर उन्हें बिहार चुनाव के किसी भी चरण में निर्वाचन आयोग की ओर से अपनाई गई प्रक्रिया में कोई भी अवैधता मिलती है, तो पूरी चुनाव प्रक्रिया रद्द कर दी जाएगी. कोर्ट ने बिहार में एसआईआर की वैधता पर अंतिम दलीलें सुनने के लिए 7 अक्टूबर की तारीख निर्धारित की है.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारा मानना है कि संवैधानिक संस्था भारत निर्वाचन आयोग बिहार में कानून और अनिवार्य नियमों का पालन कर रही है. कोर्ट ने आगे कहा कि वे बिहार में एसआईआर पर आंशिक रूप से राय नहीं दे सकते हैं, क्योंकि उनका अंतिम फैसला पूरे देश पर लागू होगा. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि अगर बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) द्वारा अपनाई गई कार्यप्रणाली में कोई अवैधता पाई जाती है, तो पूरी प्रक्रिया को रद्द किया जा सकता है. पीठ ने स्पष्ट किया कि वो बिहार एसआईआर पर टुकड़ों में फैसला नहीं दे सकती, क्योंकि उसका अंतिम फैसला केवल बिहार में ही नहीं, बल्कि पूरे भारत में आयोजित एसआईआर पर लागू होगा.

एक अन्य याचिका पर नोटिस

इस बीच शीर्ष अदालत ने 8 सितंबर के उस आदेश को वापस लेने की मांग वाली एक याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें चुनाव आयोग को बिहार एसआईआर में आधार कार्ड को 12वें निर्धारित दस्तावेज के रूप में शामिल करने का निर्देश दिया गया था. 8 सितंबर को सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया था कि आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं होगा और निर्वाचन आयोग मतदाता सूची में नाम शामिल करने के लिए मतदाता की ओर से प्रस्तुत किए जाने पर इसकी वास्तविकता का पता लगा सकता है.

अगस्त 2025 में बेरोजगारी दर घटकर 5.1 प्रतिशत

नई दिल्ली 15 सितंबर. भारत की कुल बेरोजगारी दर अगस्त 2025 में घटकर 5.1 प्रतिशत हो गई है. यह लगातार दूसरे महीने गिरावट का संकेत दे रही है. बेरोजगारी दर जून में 5.6 प्रतिशत और जुलाई में 5.2 प्रतिशत थी. यह जानकारी सोमवार को सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के नए जारी सरकारी आंकड़ों से पता चली है. सरकार ने मंथली बुलेटिन में बताया गया है कि पुरुषों में बेरोजगारी दर अगस्त 2025 में घटकर पांच महीने के निचले स्तर 5.0 प्रतिशत पर आ जाएगी. यह गिरावट शहरी पुरुष बेरोजगारी में कमी के कारण हुई, जो जुलाई में 6.6 प्रतिशत से घटकर अगस्त में 5.9 प्रतिशत हो गई.

इंदौर में ट्रक ने कई लोगों को कुचला

- एयरपोर्ट रोड पर भीषण ट्रक हादसा, सात लोगों की मौत
- हादसे के बाद गुस्साई भीड़ ने ट्रक में लगा दी आग

इंदौर. एयरपोर्ट रोड स्थित शिक्षक नगर में सोमवार रात सड़क हादसा हो गया. एक तेज रफ्तार ट्रक ने राह चलते 10-15 लोगों को कुचल दिया. शुरुआती जानकारी के मुताबिक 7 लोगों की मौके पर ही मौत सामने आ रही है, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से घायल हैं. घायलों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया है.

हादसे के बाद गुस्साई भीड़ ने ट्रक में आग लगा दी. मौके पर अफरा-तफरी का माहौल है.

सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीमें घटनास्थल पर पहुंच गईं और रेस्क्यू शुरू कर दिया. खबर लिखे जाने तक लोगों द्वारा ट्रक में लगाई गई आग पर काबू पा लिया था. फिलहाल पुलिस स्थिति को नियंत्रण करने में लगी है. वहीं थाना प्रभारी वरुण भाटी ने बताया, मैं फिलहाल घटना स्थल पर ही मौजूद हूं. स्थिति साफ होने के बाद ही कुछ कह पाऊंगा.

राहुल गांधी ने डूबी फसलें-टूटे घर देखे

लोकसभा में विपक्ष के नेता ने किया पंजाब में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा

अमृतसर 15 सितंबर. लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सोमवार को पंजाब में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने पहुंचे. वे अमृतसर और गुरदासपुर के गांवों में गए. पानी में डूबी फसलें और टूटे हुए घर देखे. बाढ़ पीड़ितों और किसानों का दर्द समझा.

इस दौरान पंजाब कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के साथ रहे. सुरक्षा कारणों के चलते जिला प्रशासन ने गुरदासपुर के रावी दरिया पार बसे सात गांवों में राहुल गांधी को जाने की अनुमति नहीं दी. राहुल गांधी सुबह करीब साढ़े 9 बजे श्री गुरु रामदास जी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर पहुंचे.

यहां से गांव अजनाला के लिए रवाना हुए.

इसके बाद बाढ़ प्रभावित रमदास के घोनेवाल और माछीवाल दौरा किया. सात घरों में गए. उन्होंने पीड़ित परिवारों से बातचीत की. मदद का भरोसा दिया. उन्होंने एक पीड़ित परिवार के 5 साल के बच्चे अमृतपाल को चॉकलेट और टॉफियां भी दी.

सीटों के तालमेल में उलझे हैं राजग व इंडिया समूह के नेता

प्रवेश कुमार मिश्र

नई दिल्ली,15 सितंबर. बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है लेकिन अभी तक दोनों प्रमुख राजनीतिक गठबंधनों के अंदर सीटों के तालमेल का पेंच फंसा हुआ है.

जहां एक तरफ राजग के अंदर चिराग पासवान व जीतन राम मांझी की पार्टी ज्यादा से ज्यादा सीट लेने के लिए बहुस्तरीय दबाव बनाए हुए है वहीं दूसरी ओर इंडिया समूह के अंदर राजद व कांग्रेस के बीच सीटों की संख्या को लेकर टकराव की स्थिति बनी हुई है. सूत्रों की मानें तो बिहार विधानसभा के कुल 243 सीटों में से भाजपा व जदयू के बीच 101 व 102 सीटों का बंटवारा हो चुका है लेकिन चिराग पासवान 40 सीट और मांझी 25 सीटों पर अपनी दावेदारी पेश कर राजग रणनीतिकारों के सामने समस्या खड़ी कर दिए हैं.

जबकि राजग रणनीतिकार चिराग पासवान की पार्टी को 20 से 25 सीट और मांझी की पार्टी को 10-12 सीट देने को तैयार हैं लेकिन इस प्रस्ताव को अनसुना करते हुए उक्त दोनों राजग के सहयोगी अपनी डफली अपना राग अलाप रहे हैं.

वहीं दूसरी ओर राजद और कांग्रेस के बीच कई दौर की बैठकों के बाद भी अभी तक समन्वय स्थापित नहीं हो सका है. सूत्रों की मानें तो कांग्रेस पार्टी किसी भी हाल में 65 सीट से कम लेने के पक्ष में नहीं है. जबकि राजद की ओर से उसे अभी तक 19 सीटिंग सीट और पिछले चुनाव में 5 हजार से कम वोटों के अंतर से हारी हुई 21 सीट यानी कुल 40 सीट देने का प्रस्ताव किया गया है. चर्चा है कि कांग्रेस पार्टी की ओर से राजद को स्पष्ट संदेश दिया गया है कि वह मजबूरी से नहीं बल्कि मजबूती के साथ राजद के साथ रहे हैं ऐसे में कांग्रेस की ताकत को कम करके आंका नहीं जाना चाहिए. कांग्रेस पार्टी का केन्द्रीय नेतृत्व भी सम्मानजनक समझौता करने पर अड़ा हुआ है.

बहरहाल, दोनों खेमों के अंदर सीटों का तालमेल बिठाना टेढ़ी खीर साबित हो रहा है. हालांकि चर्चा है कि राजग के अंदर समन्वय बैठाने के लिए जल्द ही गृहमंत्री अमित शाह सभी पक्षों से व्यक्तिगत तौर पर बातचीत करने वाले हैं और इसी तरह यदि बिहार में इंडिया समूह में गठबंधन का फार्मूला नहीं सुलझा तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे व राहुल गांधी सहयोगी दलों के वरिष्ठ नेताओं से चर्चा कर समन्वय बैठाने का अंतिम प्रयास करेंगे.

सूत्रों की मानें तो पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लावरू को सभी सीटों के लिए तैयारी आरंभ करने का निर्देश दिया है. संभवत: इसी वजह से तेजस्वी यादव ने भी पिछले दिनों एक सभा में 243 सीटों पर अकेले लड़ने की तैयारी करने की बात कही थी. कहा जा रहा है कि इस तरह की बात दोनों तरफ दबाव बनाने के उद्देश्य से की जा रही है. इतना ही नहीं इंडिया गठबंधन के अन्य घटक दलों ने भी मन माफिक सीट व उपमुख्यमंत्री पद लेने की बात करके आपसी तनाव को और बढ़ा दिया है.

बिहार में पीएम ने 40 हजार करोड़ के प्रोजेक्ट को दी हरी झंडी

पूर्णिया 15 सितंबर. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को बिहार के लिए 40 हजार करोड़ के प्रोजेक्ट शुरू किए. उन्होंने पूर्णिया एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया. एयरपोर्ट के बाद पूर्णिया के एसएसबी ग्राउंड में प्रधानमंत्री ने सभा को संबोधित किया.

उन्होंने कहा- कांग्रेस और राजद से बिहार के सम्मान के साथ पहचान को

भी खतरा है. ये लोग बिहार की तुलना बीड़ी से करते हैं. एसआईआर का जिक्र किए बिना प्रधानमंत्री ने कहा- राजद और कांग्रेस घुसपैठियों को बचाने के लिए यात्राएं निकाल रही हैं। प्रदर्शन कर रही हैं, लेकिन घुसपैठियों पर ताला लगाना एनडीए की पक्की जिम्मेदारी है. बिना नाम लिए राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, जो मेरे पहले यहां के चक्कर काटकर गए, उन्हें मखाना का नाम भी नहीं पता होगा. वे मंच तक खुली गाड़ी से लोगों का अभिवादन करते हुए पहुंचे. इस दौरान उनके साथ प्रधानमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी प्रधानमंत्री सम्राट चौधरी भी थे.

बिहार को दी राष्ट्रीय मखाना बोर्ड की सौगात

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैंने बिहार के लोगों से राष्ट्रीय मखाना बोर्ड के गठन का वायदा किया था. केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय मखाना बोर्ड की स्थापना के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. मखाना किसानों को अच्छी कीमत मिले. इसके लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ाया जाएगा. मखाना सेक्टर के विकास के लिए हमारी सरकार ने करीब पौने 500 करोड़ रुपये की योजनाओं को मंजूर किया है.

बीएमडब्ल्यू कार की टक्कर से वित्त मंत्रालय के उपसचिव की मौत

नई दिल्ली15 सितंबर (वार्ता) रिंग रोड पर हुए भीषण सड़क हादसे में वित्त मंत्रालय में कार्यरत कर्मचारी नवजोत सिंह की मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गईं. पुलिस ने महिला आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया है. सिंह वित्त मंत्रालय के उपसचिव के पद पर तैनात थे. कैंट क्षेत्र में रिंग रोड पर हुए दर्दनाक

बीएमडब्ल्यू हादसे ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या यदि हादसे के बाद नवजोत सिंह को तुरंत नज़दीकी बड़े अस्पताल पहुंचाया जाता तो उनकी जान बचाई जा सकती थी.